रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-258118
CG-DL-E-21102024-258118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 21, 2024/आश्विन 29, 1946
No. 594] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2024/ASVINA 29, 1946

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 650(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और 1 जनवरी, 2024 से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 में, नियम 3 में --

(i) उप-नियम (1) में "चार लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख बासठ हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) में "चार लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उपबंधों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर उनके समेकित वेतन से पेंशन की कटौती नहीं की जाएगी;

परन्तु यह और कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य जनवरी 2024 की पहली तारीख से इस नियम के अधीन वेतन के हकदार होंगे।"

[फा. सं. आर-12012/01/2024-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

नियम में उपर्युक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किए गए हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने व्यय विभाग के 10 जून, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16-01/2017-ई-III-ए के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समेकित वेतन को दिनांक 1.1.2024 से संशोधित करने की अनुमति दे दी थी।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से प्रस्तावित संशोधन के कारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के अध्यक्ष अथवा कोई भी पूर्णकालिक सदस्य, पूर्ववर्ती या वर्तमान, प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं होंगे।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 841(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 827(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2008, सा.का.नि. 307(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 269(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2014, सा.का.नि. 274(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2014 तथा सा.का.नि. 461(अ), तारीख 21 जून, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2024

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), except as respect things done or omitted to be done on and from the date 1st January, 2024 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Rules, 2000, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Rules, 2000, in rule 3,—

(i) in sub-rule (1), for the words "rupees four lakh fifty thousand", the words "rupees five lakh sixty-two thousand and five hundred" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the words "rupees four lakh", the words "rupees five lakh" shall be substituted:

(iii) after sub-rule 2, the following provisions shall be inserted, namely:—

"Provided that in respect of retired Government officers appointed as Chairperson or whole-time members, there shall be no-deduction of pension from the Consolidated salary:

Provided further that the Chairperson and whole-time member shall be entitled to a salary under this rule with effect from the 1st day of January, 2024.".

[F. No. R-12012/01/2024-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The above amendment to the Rules is given retrospective effect, as the Central Government had accorded approval to the revised consolidated salary of Chairperson and Members of Insurance Regulatory and Development Authority with effect from 1st January, 2024 *vide* Department of Expenditure's O.M No.16-01/2017-E.III.A dated 10th June 2024.

2. It is certified that no Chairperson or whole-time member, past or present, of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given with retrospective effect.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 841(E), dated the 25th October, 2000 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 827 (E), dated the 1st December, 2008, G.S.R. 307(E), dated the 19th April, 2012, G.S.R. 269(E), dated the 4th April, 2014, G.S.R. 274(E), dated the 7th April, 2014, and G.S.R. 461(E), dated the 21st June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.21 21:36:08 +05'30'